उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 1716 / VII-1 / 2018 / 59 ख / 08
देहरादून,दिनांकः 31 अगस्त, 2018

कार्यालय ज्ञाप

जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम मोहली के क्षेत्रान्तर्गत कुल 4.9 है० भूमि में सोपस्टोन का खनन पट्टा चाहने हेतु आवेदक श्री सुरेन्द्र सिंह भौर्याल पुत्र श्री खीम सिंह भौर्याल, ग्राम कुरौली, पो० सनेती, तहसील दुगनाकुरी, जनपद बागेश्वर के आवेदन पत्र दिनांक 26.11.2015 के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं०–1951 / VII-1 / 2016 / 59ख / 08, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 द्वारा श्री सुरेन्द्र सिंह भौर्याल पुत्र श्री खीम सिंह भौर्याल, ग्राम कुरौली, पो० सनेती, तहसील दुगनाकुरी, जनपद बागेश्वर एवं श्री गोविन्द सिंह धामी पुत्र श्री लक्षमसिंह धामी, ग्राम मोहली, तहसील दुगनाकुरी, जनपद बागेश्वर के पक्ष में जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम मोहली में 2.489 है० भूमि में 25 वर्ष की अवधि हेतु सोपस्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु आशय पत्र स्वीकृत किया गया तथा शासन के कार्यालय ज्ञाप सं० 45 / VII-1 / 2018 / 59ख / 08, दिनांक 9 मार्च, 2018 द्वारा उक्त स्वीकृत आशय पत्र दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 में उल्लिखित शर्तों की अनुपालना में हुए लगभग 07 माह के विलम्ब का मर्षण करते हुए आशय पत्र की अनुपालना हेतु 06 माह का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–867 / मु०ख० / 21 / बागे० / भू०खनि०ई० / 2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में श्री सुरेन्द्र सिंह भौर्याल पुत्र श्री खीम सिंह भौर्याल, ग्राम कुरौली, पो० सनेती, तहसील दुगनाकुरी, जनपद बागेश्वर एवं श्री गोविन्द सिंह धामी पुत्र श्री लक्षमसिंह धामी, ग्राम मोहली, तहसील दुगनाकुरी, जनपद बागेश्वर के पक्ष में जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम मोहली में सोपस्टोन के खनन पट्टा हेतु आशय पत्र पर स्वीकृत क्षेत्र 2.489 है० के सापेक्ष सीमांकित कुल 2.469 है० भूमि में खनन पट्टा हेतु शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.12..2016 द्वारा स्वीकृत आशय पत्र में उल्लिखित पर्यावरणीय अनुमति को छोड़कर शेष शर्तों की अनुपालना किये जाने के फलस्वरूप शासनादेश संख्या–121 / VII-1-17 / 68–ख / 2015, दिनांक 27 फरवरी, 2017 एवं उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 यथासंशोधित, 2017 के प्रावधानानुसार सोपस्टोन का 25 (पचास) वर्ष की अवधि का खनन पट्टा निम्नवत् स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया हैः–

1	उपखनिज का नाम	सोपस्टोन
2	क्षेत्रफल	जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम मोहली में जोतदार के नाम भूमि 1.872 है०, सार्वजनिक उपयोग की भूमि 0.129 है०, राज्य सरकार की भूमि 0.468 है० **कुल भूमि 02.469 है०** एक संहत खण्ड में खसरा विवरण पत्र एवं मानचित्र के अनुसार उपलब्ध क्षेत्र का भूमि पर वास्तविक सीमाबन्धन खेतवार एवं खसरावार क्षेत्र के आधार पर निर्धारित।
3	अवधि	खनन पट्टा के पंजीयन की तिथि से 25 वर्ष
4	अपरिहार्य भाटक	उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015, उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के द्वितीय अनुसूची एवं उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार।
5	स्वामित्व (रायल्टी)	उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015, उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के प्रथम अनुसूची एवं उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार।
6	अन्य कर	राजकीय नियमानुसार

अतिरिक्त शर्तेः

7.1. शासनादेश के दिनांक से छः माह के भीतर समुचित पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया जाता है तो शासनादेश बिना किसी पूर्व सूचना के ही आवेदन शुल्क जब्त करते हुये प्रतिसंहृत कर दिया जायेगा।

7.2 वन विषयक यदि स्वीकृत क्षेत्र का कोई भाग वन भूमि में पाया जाता हो या घोषित होता है, पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुसार वन भूमि पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

7.3. आवेदक को खनन के दौरान विलेख की शर्तो/खनन नियमों/शासनादेशों/स्थानीय आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।

7.4 खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत आने वाली सार्वजनिक उपयोग की भूमि 0.129 है० में खनन कार्य निषिद्ध रहेगा।

7.5. खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले वृक्षों की सुरक्षा का दायित्व आवेदक का होगा एवं खनन कार्य से वृक्षों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

7.6 आवेदक को जिला पर्यावरण समाघात निर्धारण समिति (DEIAA) से पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा जिला पर्यावरण समाघात निर्धारण समिति (DEIAA) से पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही आवेदक को प्रस्तावित क्षेत्र में खनन करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

7.7 आवेदक द्वारा जिला पर्यावरण समाघात निर्धारण समिति (DEIAA) द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तों की अनुपालना किया जाना अनिवार्य होगा।

7.8 आवेदक द्वारा अपरिहार्य भाटक की देयता पट्टा विलेख के दिनांक से देय होगी।

7.9 पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य का प्रारम्भ संबंधित भू–स्वामियों की सहमति/अनापत्ति के उपरान्त ही किया जायेगा।

7.10 स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

गरिमा रौंकली
संयुक्त सचिव

संख्याः 1716 (1)/VII-1/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
3. श्री सुरेन्द्र सिंह भौर्याल पुत्र श्री खीम सिंह भौर्याल, ग्राम कुरौली, पो० सनेती, तहसील दुगनाकुरी, जनपद बागेश्वर एवं श्री गोविन्द सिंह धामी पुत्र श्री लक्षमसिंह धामी, ग्राम मोहली, तहसील दुगनाकुरी, जनपद बागेश्वर को उक्तानुसार खनन पट्टा विलेख निष्पादन हेतु नियमानुसार निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के माध्यम से प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव